

प्रेषक

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 20 मई, 2016

विषय: दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) प्रदेश के नगरीय निकायों में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (इडा) द्वारा शहरी गरीबों के सामाजिक उत्थान हेतु संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत शहरों में असंगठित क्षेत्र के कुशल एवं अर्द्धकुशल कामगारों को उत्प्रेरित करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत "शहरी आजीविका केन्द्रों" की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई/इडा के नियन्त्रणाधीन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

2. शहरी आजीविका केन्द्रों में विभिन्न ट्रेडों के कुशल एवं अर्द्धकुशल कामगारों को पंजीकृत कर आवश्यक दैनिक गुणवत्ता आधारित सेवाएं उचित मूल्य पर प्रदेये जाने की व्यवस्था है। इन केन्द्रों का संचालन व्यवसायिक माडल पर किया जा रहा है, ताकि केन्द्र आत्मनिर्भर होकर बेहतर सेवाएं निरन्तर उपलब्ध कराता रहे। शहरी आजीविका केन्द्र (सीOएलOसीO) को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाएं शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से ली जायें, ताकि केन्द्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ बनाया जा सके एवं शहरी गरीबों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि समस्त विभागों, निगमों/संस्थानों आदि द्वारा आउटसोर्स आदि के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को सम्बन्धित शहरों में स्थापित शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से लिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्गत करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/5/16
आलोक रंजन
मुख्य सचिव।


संख्या-374/2016/771(1)/69-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

✓ 4. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।
19/5/2016